बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–3/अ0प्र0–1–225/2013 274 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, पालीगंज अंतर्गत डीह पाली से खनपुरा ग्राम तक पथ की विशेष मरम्मति के लिए विभाग द्वारा दिये गये आवंटन को वापस करने तथा पुनः उसी पथ की मरम्मति हेतु विभाग से आदेश प्राप्त किये बिना संवेदक के साथ एकरारनामा करने एवं राशि की माँग करने संबंधी आरोपों (वर्ष–2012–13) के लिए संकल्प ज्ञापांक 1009 अनु0 दिनांक 16.03.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 08 अनु0 दिनांक 25.01.2019 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता–1 के पत्र दिनांक 11.04.2013 को आधार बनाते हुए अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जबकि मुख्य अभियंता–1 का उक्त प्रतिवेदन श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के पत्रांक 475 दिनांक 06.04.2013 को आधार में रखकर तैयार किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उन्हें विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2012 की राज्य स्तरीय बैठक में मौखिक निदेश प्राप्त होने, साथ ही पथ की विशेष मरम्मति कराने के उपरान्त पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरित करने संबंधी निदेश होने का उल्लेख है, परन्तु एतद् विषयक दिनांक 26.12.2012 के बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन श्री कुमार एवं मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं संलग्न किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि श्री कुमार द्वारा उक्त पथ के संबंध में आवंटन का प्रत्यार्पण दिनांक 24.12.2012 को ही कर दिया गया था। पुनः संवेदक के साथ एकरारनामा (दिनांक 29.12.2012 को) करने का आधार दिनांक 26.12.2012 को विभागीय बैठक में दिये गये मौखिक निदेश को बताया गया है, जबकि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई मौखिक निदेश नहीं दिया गया था।

4. उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 180 अनु0 दिनांक 08.01.2020 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री कुमार के पत्रांक 02 अनु0 दिनांक 23.01.2020 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा विभागीय असहमति के बिन्दु पर तथ्य प्रस्तुत न कर अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि यद्यपि उक्त पथ के हस्तांतरण हेतु उनसे अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी तथा उनके द्वारा समर्पित अनापति प्रमाण–पत्र में यह अंकित किया गया कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद/विशेष मरम्मति का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सहमति प्रदान की जा सकती है। किन्तु

श्री कुमार द्वारा प्रश्नगत पथ हस्तांतरण संबंधी अधिसूचना दिनांक 12.02.2013 को निर्गत होने के पूर्व ही आवंटित राशि प्रत्यर्पित कर दी गई, जबकि हस्तांतरण पूर्ण हो जाने के पश्चात् राशि प्रत्यर्पित करनी चाहिए थी। दिनांक 24.12.2012 को राशि प्रत्यर्पित कर देने के बाद दिनांक 29.12.2012 को संवेदक के साथ एकरारनामा करने के पूर्व वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारी अथवा विभाग को अवगत करना चाहिए था किन्तु श्री कुमार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। यदि विभाग द्वारा इस संदर्भ में काई मौखिक निदेश दिया भी गया था तो उसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उक्त आलोक में श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1064 अनु0 दिनांक 09.06.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1495 दिनांक 23.09.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

8. अतः उक्त आलोक में श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 01 (एक) वर्ष तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

02.02.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–225/2013 275 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–225/2013 275 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–225/2013 275 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल-संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :–फ्लैट नं0–203, जगदेवन कुंज अपार्टमेंट, न्यू पुनाईचक (हनुमान नगर) पटना–800023 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–225/2013 275 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

प्रतिलिपि:– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1495 दिनांक 23.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–225/2013 275 /पटना, दिनांक :– 3-2-21

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव